

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, नालंदा के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना मृत्यु में 02 श्रमिक के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) एवं 04 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 320000/- (तीन लाख बीस हजार रूपए) मात्र मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःश्वतता का ख्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० अरविन्द प्रसाद, 60, स्व० दुखी गोप, सामान्य	श्रीमती कान्ती देवी (पत्नी)	337/05.06. 2018	ग्रा०-आशानगर, पो०+था०-सोहसराय, नालन्दा	34418422 18	Central Bank of India, Kissan College Sohسرائي Nalanda, CBIN0284033	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० राजाराम माँझी, 36, स्व० द्वारिका माँझी, अनु० जाति	श्रीमती बुन्नी देवी उर्फ सोनिया देवी (पत्नी)	338/05.06. 2018	ग्रा०-उफरौल, पो०-चन्दौरा, था०-वेना, नालन्दा	33358100 015919	Bank of Baroda, Maa Tara Complex, Ramchandrapur Nalanda, Biharsharif, BARBOBIHARS	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ईट बनाने का कार्य एवं खेतीहर मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० शिवरतन पासवान, 58, श्री जयप्रकाश पासवान, अनु० जाति	श्रीमती नन्ती देवी (पत्नी)	339/05.06. 2018	ग्रा०-बदिया, था०+पो०-सरमेरा, नालन्दा	31080017 00062437	Punjab National Bank, Sarmera Nalanda, PUNB0310800	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० राम बाबु साव, 27, स्व० रजिन्द्र साव, सामान्य	श्रीमती किरण देवी (पत्नी)	340/05.06. 2018	म०-झोंगनगर, पो०+था०-बिहारशरीफ, नालन्दा	08340103 33221	United Bank of India, Sohسرائي Biharsharif, Nalanda, UTBI0BIFJ10	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राज मिस्त्री व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० दिनेश राम, 56, स्व० ईश्वरी राम, सामान्य	श्रीमती निर्मला देवी (पत्नी)	341/05.06. 2018	ग्रा०+पो०+था०-दौपनगर, प्र०-बिहारशरीफ, नालन्दा	75151700 006059	Madhya bihar gramin bank, Kargil Chock(Kisanbad) Biharsharif Nalanda, PUNBOMBGB06	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, होटल में बर्तन साफ करने का कार्य व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० पप्पु कुमार, 36, श्री सतीश कुमार, सामान्य	श्रीमती रंजु कुमारी (पत्नी)	342/05.06. 2018	ग्रा०-खरूआरा, पो०-चेरो, था०-हरनौत, नालन्दा	71620100 073270	Madhya bihar gramin bank, Harnaut Nalanda, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि मजदूरी एवं भवन निर्माण व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 320000/-

(तीन लाख बीस हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० स०-37/2018 के पृष्ठ-03/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-37/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-37/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-37/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 320000/- (तीन लाख बीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-37/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, नालंदा को उनके पत्रांक 356 दिनांक 08.06.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-37/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, नालंदा को उनके पत्रांक 337, 338, 339, 340, 341 एवं 342 दिनांक 05.06.201 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-37/2018-312

पटना, दिनांक :- 16-7-18

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

310/21

18-07-18

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

18/07/18

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

18/07/18

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।